वाद पत्र अन्तर्गत धार 88, 188 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा

उपस्थित अभिभाषकगण

1. अधिवक्ता श्री राजेशदीप राय – वादी
2. अधिवक्ता श्री विनोद कुमार पारीक – प्रतिवादी संख्या 1

निर्णय दिनांक :– 25/01/21

वादी की ओर श्री राजेशदीप राय व प्रतिवादी संख्या 1 ओर से श्री विनोद कुमार पारीक अधिवक्ता की उपस्थिति में आज दिनांक 25/01/21 को कपिल यादव आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर पत्रावली पर उपलब्ध वाद ग्रस्त भूमि की जमाबन्दी, वादी की माता कुरसेद बेगम उर्फ कुरशेबा के जायज वारीसान के सम्बध में दिये गये ग्राम पंचायत द्वारा वारिसान प्रमाण पत्र व वादी एंव प्रतिवादी के मध्य हुए राजीनामा को मध्य नजर रखते हुए वाद वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी किया जाता है तथा वाद ग्रस्त कृषि भूमि से वादी को बेदखल करने व अन्य व्यक्तियो को किसी प्रकार से रहन, बैय व मुन्तकिल करने से प्रतिवादी निषिद्व रहे कि स्थायी निषेधाज्ञा वादी के पक्ष में दी जानी न्यायौचित है। अतः घोषणा कि जाती है कि वादी वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि चक 6 जे.डी.डब्लयू. के पत्थर नम्बर 85/238(46) के किला नम्बर 3, 4/2/.063, 7/2/.063, 8, 13/.203, 14/2/.063, 17/3/.046, 18/2/.013 कुल .957 हैक. कृषि भूमि में से वादी की माता कुरसेवा उर्फ कुरशेद बेगम के नाम दर्ज 2/3 हिस्सा का वादी खातेदार है व उपरोक्त भूमि में वादी 1/3 की बजाए सम्पूर्ण भूमि 0.957 हैक. का खातेदार है व चक 4 जे.डी.डब्लयू. के पत्थर नम्बर 89/236 (20) किला नम्बर 2/1/.084, 3, 4/1/.084, 7/3/.085, 8, 9/1/.085, 12/1/.084, 13, 14/1/.084, 17/1/.085, 18, 19/1/.085, 22/1/.084, 23, 24/1/.084 पत्थर नम्बर 89/237 (28) किला नम्बर 6, 15, 16, 25 पत्थर नम्बर 89/238 (35) किला नम्बर 2/1/.084, 3, 4/1/.084, 7/1/.085, 8, 9/1/.085, 12/1/.084, 13, 14/1/.084, 17/1/.085, 18, 19/1/.085, 22/1/.084, 23, 24/1/.084, पत्थर नम्बर 89/239 (40) किला नम्बर 2/1/.084, 3, 4/1/.084, 7/1/.085, 8/9/1/.085, 12/1/.084, 13, 14/1/.084, 17/1/.085, 18, 19/1/.085, 22/1/.084, 23, 24/1/.084, तादादी 7.339 हैक. में वादी की माता के नाम दर्ज 4.619 है. कृषि भूमि का वादी खातेदार है तथा चक 4 जे.डी.डब्लयू की उपरोक्त भूमि में वादी 2.173 हैक. की बजाए 6.792 हैक. भूमि का खातेदार हैं।

तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भारमुक्त होने की दशा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अकंन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बिरानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना – अपना वहन करेगे।

यह डिक्री आज दिनांक 25/01/21 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गई।

मिलान किया

प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रभारी अधिकारी
प्रतिलिपि शाखा
कलैक्ट्रेट, हनुमानगढ़

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़।

Scanned with CamScanner